प्रतिवेदन

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

¼डिपइको परियोजना½

दिनांक : 13–18 मई 2010

स्थान : सहभागी शिक्षण केन्द्र,लखनऊ

आयोजक

सहभागी शिक्षण केन्द्र, छठा मील
सीतापुर रोड, लखनऊ -227208, उ० प्र०
फोन/फैक्सः (0522) 2734888 / 2734889
ई-मेलः info@sahbhagi.org वेबसाइटः www.sahbhagi.org

<u>विषय सूची</u>

क्रम संख्या		विषय	पृष्ठ संख्या
1		**पृष्ठभूमि**	3 -26
2		**प्रशिक्षण प्रक्रिया**	
	i	पहला दिन	3- 6
	ii	दूसरा दिन	7-12
	iii	तीसरा दिन	13-16
	iv	चौथा दिन	17-20
	v	पांचवां दिन	21-24
	vi	छठा दिन	25-26
3		**प्रशिक्षण का मूल्यांकन**	27-29
4		**परिशिष्ट**	30-32
	i	सहभागियों की सूची	30-31
	ii	प्रशिक्षक दल	32
	iii	प्रशिक्षण रूपरेखा	33-38
	ii	फोटो गैलरी	33

<u>पृष्ठभूमि</u>

प्रस्तुत प्रतिवेदन उ०प्र० के बहराईच जिले में सहभागी शिक्षण केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम' के अन्तर्गत केन्द्र की सहयोगी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' के संदर्भ में है।

'आपदा जोखिम न्यूनीकरण' कार्यक्रम उ० प्र० के बहराईच जिले के 7 ब्लॉक की 20 पंचायतों में संचालित किया जा रहा है जिसका मुख्य उददेश्य समुदाय के क्षमतावर्धन द्वारा आपदा के जोखिम को कम करना है।

कार्यक्रम के तीन मुख्य अपेक्षित परिणाम हैं—

- 50 पुरवों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना का निर्माण एवं इन योजनाओं का मुख्य विकास योजनाओं से जुड़ाव
- पूर्व चेतावनी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
- समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन समितियों के कार्यदलों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री का विकास एवं वितरण तथा समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन समितियों के कार्यदलों का प्रशिक्षण

तीसरे परिणाम हेतु सहभागी शिक्षण केन्द्र अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ कार्य कर रहा है। 2 ब्लॉक – कैसरगंज एवं जरवल की 8 पंचायतों में केन्द्र का सीधा हस्तक्षेप है और शेष 12 पंचायतों में केन्द्र सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से कार्य कर रहा है।

इसी संदर्भ में ये प्रशिक्षण बहराईच जिले में केन्द्र की सहयोगी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन समितियों के कार्यदलों के प्रशिक्षण हेतु विकसित किये गये 5 प्रशिक्षण मॉड्यूल – पूर्व चेतावनी, खोज एवं बचाव दल, प्राथमिक उपचार, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव पर सहभागियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करना था।

प्रतिवेदन में 6 दिवसीय इस प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं का दिवस–सत्रवार विवरण है जिसमें यथासंभव सत्र की प्रक्रियाओं के साथ विषय–वस्तु को भी सम्मिलित किया गया है।

प्रत्येक दिन के प्रक्रिया विवरण में प्रशिक्षित सहभागियों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास सत्रों के दौरान सत्र के बेहतर संचालन हेतु उन्हें दिए गए प्रमुख सुझावों को भी शामिल किया गया है।

प्रतिवेदन को सोदाहरण बनाने के लिये कहीं–कहीं सत्र विवरण में और अंत में परिशिष्ट के रूप में फोटो गैलरी दी गयी है।

प्रशिक्षण प्रक्रिया

पहला दिन ¼13 मई 2010½

पहला सत्र : परिचय सत्र

अवधि : 3 घंटा

सत्र विवरण –

उद्देश्य : सहभागियों को प्रशिक्षण के उद्देश्यों से परिचित कराना एवं प्रशिक्षण में उनकी उम्मीदों का संतुलन।

पद्धति : बड़े समूह में चर्चा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरम्भ प्रार्थना गान से हुआ। सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षक श्री राकेश कुमार नीरज ने अपना परिचय दिया और साथ ही प्रशिक्षक दल के अन्य प्रशिक्षकों एवं सहभागियों ने अपना संक्षिप्त परिचय व्यक्तिगत रूप से दिया।

परिचय की प्रक्रिया के बाद प्रशिक्षक श्री नागेन्द्र सिंह ने संस्था ''सहभागी शिक्षण केन्द्र'' का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि नागर समाज संगठनों एवं समुदाय आधारित संगठनों के क्षमतावर्द्धन के उद्देश्य से इस केन्द्र की शुरूआत 1990 में हुई थी। 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद सन् १६६४–६५ से संस्था ने स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास शुरू किये और कई महत्वपूर्ण सफलताओं के साथ आज भी इस दिशा में कार्यरत है। क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के अतिरिक्त लोगों को उनके सबसे कठिन समय यानि आपदा में मदद करने के विचार के साथ सन् 2006–07 में राहत और 2008–2009 में पुर्नवास का कार्य किया जिसके अन्तर्गत उ०प्र० के बहराईच जनपद में लकड़ी की नावें बांटी गईं, उच्चीकृत घर और हैण्ड पम्प बनवाये गये। राहत और पुर्नवास का कार्य करते हुए संस्था ने अनुभव किया कि राहत मात्र से आपदा में समुदाय की परेशानियाँ कम नहीं होंगी। इस दिशा में तैयारी की और कुछ ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। सन् 2009 से संस्था ने आपदा पूर्व तैयारी और क्षमतावर्द्धन द्वारा आपदा के जोखिम को कम करने हेतु बहराइच जनपद के ही बाढ़ प्रभावित 7 ब्लॉकों में प्रयास शुरू किये।

इसके बाद श्री नागेन्द्र सिंह ने सहभागियों से पूछा कि उनकी संस्था ने उन्हें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किस उद्देश्य से भेजा है। सहभागियों के उत्तरों को मुख्य रुप से निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है ...

- ✧ आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर समझ बनाने हेतु

- ✧ आपदा जाखिम न्यूनीकरण से जुड़े 5 मुद्दों–पूर्व चेतावनी , खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता तथा सामाजिक जुड़ाव पर प्रशिक्षण लेने हेतु।

इसके बाद सभी सहभागियों से इस प्रशिक्षण और अब तक हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए सीखने की 1–2 अपेक्षाओं को कार्ड पर लिखकर देने को कहा गया।

चायावकाश के बाद सहभागियों से प्राप्त इन अपेक्षाओं का निरूपण किया गया। मुख्य अपेक्षाओं थीं ..

- ✧ बाढ़ पूर्व तैयारी
- ✧ खोज एवं बचाव
- ✧ सामाजिक जुड़ाव
- ✧ शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
- ✧ पूर्व चेतावनी
- ✧ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद प्रशिक्षक के रूप में भूमिका एवं जिम्मेदारियां
- ✧ प्रशिक्षक की क्षमता
- ✧ प्रशिक्षण विधियाँ

उपरोक्त अपेक्षाओं के आधार पर प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य बताये :

- ➢ 5 विषयों पूर्व चेतावनी, खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एवं सामाजिक जुड़ाव पर सहभागियों की समझ इस तरह बढ़ाना ताकि वो अपने क्षेत्र में कार्यदलों का गठन कर इन विषयों पर कार्यदल सदस्यों को प्रशिक्षित कर सकें।
- ➢ सहभागियों में प्रशिक्षण से जुड़ी बुनियादी बातों की समझ विकसित करना।

प्रशिक्षक ने कहा कि उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रशिक्षण में हम विषयों पर बात करेंगे और साथ ही प्रशिक्षक के रूप में अभ्यास भी करेंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुछ आवश्यक नियम बनाये गये और निर्धारित किया गया कि प्रत्येक दिन प्रशिक्षण की समय–सारिणी इस प्रकार होगी –

पहला सत्र --- प्रातः 9:00 से दोपहर 1:00 तक

भोजनावकाश --- दोपहर 1:00 से 2:00 तक

दूसरा सत्र --- दोपहर 2:00 से सायं 5:30 तक

प्रत्येक सत्र के बीच एक चायावकाश होगा। समय सारिणी में आवश्यकतानुसार फेरबदल किया जा सकता है। साथ ही सहभागियों को अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई।

इसके बाद सहभागियों को तीन छोटे समूहों में बाँट दिया गया और प्रशिक्षण के दौरान होने वाली सभी चर्चाओं, प्रश्नोत्तरी और अभ्यासों को अपने–समूह में करने को कहा गया।

तत्पश्चात् प्रशिक्षक ने परियोजना और इसके तीन प्रमुख अपेक्षित परिणामों से सहभागियों को अवगत कराया और बताया कि इस परियोजना का शीर्षक है **''आपदा जोखिम प्रबंधन को उ०प्र० की स्थानीय विकास प्रक्रिया में शामल करना''** जिसके अन्तर्गत हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं इससे जुड़े पहलुओं/मुद्दों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु प्रयासरत् हैं। परियोजना में बहराइच जनपद के 7 ब्लॉकों की 20 ग्राम पंचायतों में कार्य किया जा रहा है–

1. कैसरगंज	2. शिवपुर	3. जरवल
4. बेलहा	5. मसही	6. मिंहीपुरवा
7. फकरपुर		

कैसरगंज एवं जरवल में केन्द्र क्रमशः 5 और 3 ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहा है। परियोजना के तीन मुख्य अपेक्षित परिणाम हैं और तीसरे परिणाम – 'समुदाय आधरित आपदा प्रबंधन समितियो के प्रशिक्षण' हेतु केन्द्र सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से कार्य कर रहा है ।

साथ ही प्रशिक्षक ने बताया कि तीसरे परिणाम पर काम करने के लिए सभी को अपने–अपने ब्लॉक में निर्धारित ग्राम पंचायतों में उपरोक्त 5 विषयों पर कार्यदलों का गठन करना होगा। प्रत्येक कार्यदल में अधिकतम 9 और न्यूनतम् 7 सदस्य होंगे जिनका चुनाव समुदाय के लोगों की उपस्थिति और उसकी सहमति से करना होगा। इन्हीं कार्यदल सदस्यों को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

दूसरा सत्र : कार्यदल प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मैनुअल

अवधि : 3 घंटा

<u>सत्र विवरण –</u>

उद्देश्य : कार्यदल प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मैनुअल की विषयवस्तु से सहभागियों को परिचित कराना।

भोजनावकाश के बाद दूसरे सत्र की शुरूआत चेतना गीत के साथ हुई। एक अभ्यास के माध्यम से सहभागियों ने एक–दूसरे का परिचय दिया।

इसके बाद सहभागियों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मैनुअल और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन समितियों के कार्यदलों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल वितरित किये गये और साथ ही उन्हें अपने पूर्व निर्धारित समूह में समूह कार्य करने का दिया गया जिसके अन्तर्गत –

<u>समूह 1</u> को प्रशिक्षण मैनुअल भाग 1 (सहभागी प्रशिक्षण का परिप्रेक्ष्य, दर्शन और सिद्धान्त), भाग 2 (प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना) एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग 1 (पूर्व चेतावनी), भाग 4 (शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य) पर चर्चा करने को कहा गया।

<u>समूह 2</u> को प्रशिक्षण मैनुअल भाग 3 (सहभागी प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियाँ) भाग 4 (प्रशिक्षक का स्वयं एवं व्यक्तित्व विकास) एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग 2 (खोज एवं बचाव), भाग 3 (प्राथमिक उपचार) पर चर्चा करने को कहा गया।

<u>समूह 3</u> को प्रशिक्षण मैनुअल भाग 5 (प्रशिक्षण के संदर्भ में छोटे समूह की समझ) भाग 6 (प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन व फॉलोअप), भाग 7 (सहभागी प्रशिक्षणों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे) एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग 5 (सामाजिक जुड़ाव) पर चर्चा करने को कहा गया।

चर्चा के बाद प्रत्येक समूह को मैनुअल और मॉड्यूल के किसी एक विषय को चुनकर उसके मुख्य बिन्दुओं को प्रस्तुत करने का कार्य दिया गया।

दूसरा दिन ¼14 मई, 2010½

पहला सत्र : पूर्व चेतावनी मॉड्यूल

अवधि	:	4 घंटा
सत्र विवरण –		
उद्देश्य	:	1.पूर्व चेतावनी के महत्व पर सहभागियों को संवेदित करते हुए विषय से जुड़ी बुनियादी जानकारी देना। 2. पूर्व चेतावनी मॉड्यूल की विषय वस्तु से परिचित कराना और सत्र प्रक्रियाओं पर उनकी समझ बनाना।
पद्धति	:	बड़े समूह में चर्चा एवं भाषण।

दूसरे दिन का पहला सत्र चेतना गीत से प्रारम्भ हुआ। प्रशिक्षक ने बड़े समूह में सहभागियों से चर्चा करते हुए पहले दिन के प्रशिक्षण का पुनरावलोकन किया।

प्रशिक्षक ने आज के विषय ''पूर्व चेतावनी'' से सहभागियों को अवगत कराते हुए उनसे प्रश्न किया कि वो संकट से क्या समझते हैं।

सहभागियों के उत्तरों को समेकित करते हुए प्रशिक्षक ने बताया कि संकट ऐसी कोई भी संभावित प्राकृतिक या मानव जनित घटना है जो समाज, लोगों और संरचनाओं को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है। साथ ही प्रशिक्षक ने सहभागियों से अगला प्रश्न किया कि आपदा क्या है?

उनके उत्तरों को समेकित करते हुए प्रशिक्षक ने बताया कि आपदा एक ऐसा संकट है जो समाज और समुदाय को इस तरह प्रभावित करती है कि वो उनसे स्वयं नहीं उबर पाता और उसे बाहरी मदद की आवश्यकता होती है। जब कोई संकट वास्तव में समाज और इसकी संरचनाओं को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है तो वह आपदा का रूप ले लेता है।

इसके बाद आपदा के कारण होने वाले नुकसानों पर चर्चा की गई और प्रश्नों के क्रम को बढ़ाते हुए प्रशिक्षक ने पूछा कि इन नुकसानों को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं?

सहभागियों ने उत्तर दिया कि पूर्व तैयारी के द्वारा हम इन नुकसानों को कम कर सकते हैं। साथ ही, पूर्व तैयारी के मुख्य बिन्दुओं पर सहभागियों ने कहा कि पूर्व तैयारी के अन्तर्गत जरूरी है :

- ✧ निःसहाय समूहों का चिन्हीकरण
- ✧ उपलब्ध संसाधनों का चिन्हीकरण
- ✧ जरूरी संसाधनों को सूचीबद्ध करना
- ✧ पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना

- ✧ शौचालय की व्यवस्था करना
- ✧ फर्स्ट एड किट तैयार रखना
- ✧ रोशनी की व्यवस्था
- ✧ यह सुनिश्चित करना कि पूर्व चेतावनी समय पर मिल सके।

प्रशिक्षक ने चर्चा को समेकित करते हुए बताया कि पूर्व चेतावनी आपदा पूर्व तैयारी का महत्वपूर्ण तत्व है।

कुछ सहभागियों ने प्रशिक्षक से असहमति जताई और कहा कि पूर्व चेतावनी बाढ़ के कुछ घण्टों पहले ही मिलती है। जबकि अन्य तैयारियाँ काफी पहले से करनी होती है। इसलिए पूर्व चेतावनी आपदा पूर्व तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व नहीं है।

सहभागियों के अनुभवों को सम्मान देते हुए प्रशिक्षक ने कहा कि ये सच है कि पूर्व चेतावनी बाढ़ के कुछ समय पहले ही मिलती है, लेकिन चेतावनी सही समय पर मिले इसके लिए तैयारी काफी पहले से करनी होती है। इसी तैयारी के अर्न्तगत हम सभी, बाढ़ से कई महीने पहले प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपने–अपने क्षेत्र में कार्यदलों को भी समय पर पूर्व चेतावनी की सुनिश्चितता हेतु प्रशिक्षित करेंगे। साथ ही, सही समय पर पूर्व चेतावनी के अभाव में अन्य तैयारियाँ भी विफल हो जाती हैं, इस दृष्टि से पूर्व चेतावनी आपदा पूर्व तैयारी का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है।

प्रशिक्षक ने सहभागियों को पूर्व चेतावनी के मुख्य तत्वों की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व चेतावनी के 4 मुख्य तत्व हैं –

- ✧ **खतरे की जानकारी (क्षेत्र में कौन सी आपदा कितनी बार, कब और कितने अन्तराल पर आती रही है)**
- ✧ **चेतावनी के माध्यम (पूर्व चेतावनी प्राप्त करने के विभिन्न माध्यमों से जानकारी एकत्र करना)**
- ✧ **चेतावनी का प्रसार (समुदाय में पूर्व चेतावनी का प्रसार)**
- ✧ **चेतावनी पर समुदाय की बचाव क्षमता (समुदाय को चेतावनी मिलने पर अपने बचाव हेतु प्रेरित करना)**

इसके बाद प्रशिक्षक ने पूर्व चेतावनी हेतु बहराइच जनपद में सहभागी शिक्षण केन्द्र द्वारा लगाई गई तकनीकी व्यवस्था की जानकारी दी और बताया कि इसकी मदद से गिरिजा बैराज से पानी छोड़े जाने की स्थिति में सूचना 5 मिनट के भीतर जिलाधिकारी और समुदाय के लोगों को मिल सकेगी।

चायावकाश के बाद प्रशिक्षक ने संदर्भ व्यक्ति का परिचय सभी सहभागियों से कराया।

परिचय की प्रक्रिया के बाद संदर्भ व्यक्ति ने कहा कि इस प्रशिक्षण के बाद हमें कार्यदलों को इन विषयों पर मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए प्रशिक्षण देना है इसलिए मॉड्यूल की विषय–वस्तु और पद्धतियों की जानकारी और उन पर पकड़ जरूरी है। इस दृष्टिकोण से सहभागियों से मॉड्यूल की रूपरेखा को बड़े समूह में पढ़वाया गया और अभ्यास सत्र हेतु मॉड्यूल के किसी एक सत्र का चुनाव करने को कहा गया।

<u>**समूहों द्वारा अभ्यास सत्र हेतु चयनित सत्र**</u>

समूह 1- प्रभावी संचार और पूर्व चेतावनी में इसका महत्व

समूह 2- पूर्व चेतावनी की वर्तमान व्यवस्था

समूह 3- पूर्व चेतावनी की वर्तमान व्यवस्था में कमियाँ

अभ्यास सत्र की तैयारी व नियम के सन्दर्भ में निम्न बातों की जानकारी दी गई –

- प्रत्येक समूह अभ्यास सत्र के अन्तर्गत 40 मिनट के सत्र का संचालन करेंगे।
- सत्र की तैयारी हेतु 1.30 घण्टे का समय दिया जाएगा।
- तैयारी के दौरान प्रत्येक समूह के साथ एक प्रशिक्षक बैठेगा और उन्हें आवश्यक सहयोग देगा।
- प्रस्तुतीकरण/संचालन के दौरान प्रत्येक समूह निम्न बिन्दुओं को अवश्य शामिल करेगा।
  - ✓ विषय
  - ✓ रूपरेखा
  - ✓ विषय–प्रवेश
  - ✓ विषय के मुख्य बिन्दु
  - ✓ पद्धति
  - ✓ सवाल–जवाब

दूसरा सत्र : पूर्व चेतावनी मॉड्यूल पर अभ्यास सत्र

अवधि : 3 1/2 घंटा

<u>सत्र विवरण –</u>

उद्देश्य : पूर्व चेतावनी विषय पर सत्र संचालन हेतु सहभागियों को अभ्यास कराना।

पद्धति : सहभागियों द्वारा अभ्यास सत्रों का संचालन

चेतनागीत के साथ दूसरे सत्र का प्रारम्भ हुआ और इसके बाद समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रथम अभ्यास सत्र : समूह 2

सत्र की विषय वस्तु से सभी सहभागियों को अवगत कराते हुए ने अभ्यास समूह ने बड़े समूह में चर्चा के माध्यम से बाढ़ पूर्व चेतावनी की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व चेतावनी के परम्परागत तरीकों और सरकारी व्यवस्था पर प्रकाश डाला और बहराइच जनपद में पूर्व चेतावनी के वर्तमान सकरारी ढाँचे को भी चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया।

बाढ़ पूर्व चेतावनी की वर्तमान व्यवस्था पर चर्चा के मुख्य बिन्दु :

- परम्परागत तरीके
- सरकारी व्यवस्था

परम्परागत तरीके

- रेडियो
- अखबार
- लेखपाल
- स्थानीय तालाब, नाला आदि
- तालाब/नाले के किनारे रेखा खींचकर या बाँस गाड़ कर
- बाढ़ का इतिहास देखकर
- पुराने अनुभवों से
- टी.वी.
- फोन
- रिश्तेदारों या मित्रों द्वारा
- बया पक्षी अपने घोसले के दरवाजे की दिशा बदल देती है, जिसे देख कर बाढ़ आने का अनुमान लगाया जा सकता है।
- पक्षियों की बोली
- पंचायत मित्र
- पंचायत सचिव

सरकारी व्यवस्था

- बैराज का चौकीदार
- लेखपाल
- प्रधान

✧ थाना

✧ जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ

✧ बी.डी.ओ.

✧ जिला प्रशासन

✧ पंचायत मित्र, किसान मित्र

✧ एस.डी.एम.

✧ तहसीलदार

✧ सिंचाई विभाग

✧ जिलाधिकारी

✧ स्वयं सेवक

✧ बाढ़ नियंत्रण कक्ष

✧ चिकित्साधिकारी

✧ सफाई कर्मी

✧ राजस्व विभाग

✧ मौसम विभाग

सत्र प्रस्तुतीकरण के बाद सत्र के बेहतर संचालन हेतु प्रशिक्षकों द्वारा आवश्यक सुझाव दिये गये।

प्रशिक्षकों के मुख्य सुझाव

विषय वस्तु पर गहरी समझ बहुत जरूरी है।

व्यवस्था के अन्तर्गत ढाँचे के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारियाँ, सूचना प्रवाह और विशेष परिस्थितियों में लोगों की सूचना तक पहुँच की जानकारी भी शामिल है। अतः व्यवस्था की जानकारी देते समय इन तत्वों की भी जानकारी देनी चाहिए।

चर्चा में निकल कर आये बिन्दुओं को समेकित करना और नई जानकारियाँ जोड़ना सहभागियों की सीख बनाने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है । उदाहरण स्वरूप पूर्व चेतावनी के परम्परागत तरीकों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समेकित किया जा सकता था –

- ✧ पशु–पक्षियों का व्यवहार
- ✧ जलस्तर का मापन
- ✧ लोगों का जनसम्पर्क
- ✧ संचार के माध्यम

द्वितीय अभ्यास सत्र – समूह 3

प्रतिभगियों ने सत्र की विषय वस्तु और रूपरेखा से सभी को अवगत कराया और पूर्व चेतावनी की वर्तमान व्यवस्था में कमियों को बड़े समूह में चर्चा के माध्यम से स्पष्ट किया।

सत्र के बेहतर संचालन हेतु प्रशिक्षक द्वारा मुख्य सुझाव

भाषण पद्धति का प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रशिक्षक के अच्छे भाषण के साथ–साथ सहभागियों की सीख भी बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा भाषण देने पर भी अगर सहभागी उसे समझने में सक्षम नहीं है तो प्रशिक्षण का उद्देश्य विफल हो जाता है।

तृतीय अभ्यास सत्र : समूह 1

तृतीय अभ्यास सत्र का प्रारम्भ चेतना गीत से हुआ। प्रतिभगियों ने ''चाइनीज विस्पर' खेल द्वारा प्रभावकारी संचार, इसकी बाधाओं और पूर्व चेतावनी में प्रभावकारी संचार के महत्व पर चर्चा की। साथ ही, सरकारी स्तर पर सूचना के प्रवाह को चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करते हुए इस सूचना प्रवाह को ''सूचना के कुचक्र'' का नाम दिया।

सत्र के बेहतर संचालन हेतु प्रशिक्षक द्वारा मुख्य सुझाव

- ✧ हर संचार का एक उद्देश्य होता है। यदि संचार अपेक्षित प्रतिक्रिया उत्पन्न न करे तो ऐसा संचार प्रभावी नहीं होता है। अतः प्रभावी संचार पर सहभागियों की समझ बनाते समय इस तत्व पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।
- ✧ चर्चा में सहभागियों के दैनिक अनुभवों से जुड़े उदाहरणों को शामिल करना चाहिए। प्रभावी संचार की बाधाओं को खेल की प्रक्रिया के साथ जोड़ना चाहिए और चर्चा के समय संदर्भ (पूर्व चेतावनी) को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

दूसरे दिन के दूसरे सत्र के अन्त में सहभागियों को निम्नलिखित विषयों पर 2 पृष्ठ का लेख लिखने को दिया गया और इसी के साथ सत्र को समाप्त किया गया।

सूमह 1 – समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन में समुदाय और समितियों की क्या भूमिका है।

समूह 2 – पूर्व चेतावनी प्रणाली में समुदाय की क्या भागीदारी है तथा अन्य समितियों व विभागों के साथ पूर्व चेतावनी प्रणाली कैसे विकसित की जाये।

समूह 3 – पूर्व चेतावनी के महत्व, तरीके और उपयोग

<u>तीसरा दिन ¼15 मई 2010½</u>

<u>पहला सत्र</u> : सामाजिक जुड़ाव मॉड्यूल

अवधि : 4 घंटा

<u>**सत्र विवरण –**</u>

उद्देश्य : समाजिक जुड़ाव मॉड्यूल की विषय वस्तु से सहभागियों को परिचित कराना और सत्र प्रक्रियाओं पर उनकी समझ बनाना।

पद्धति : बड़े समूह में चर्चा।

सत्र का प्रारम्भ चेतना गीत से हुआ और एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से दूसरे दिन के प्रशिक्षण का पुनरावलोकन किया गया। प्रशिक्षक ने आज के विषय ''**सामाजिक जुड़ाव**'' से सभी सहभागियों को अवगत कराया। सहभागियों ने एक–एक कर प्रशिक्षण की रूपरेखा को पढ़ा और प्रशिक्षक ने उन्हें सत्र की प्रक्रिया को समझने में मदद की।

इसके बाद सहभागियों के बड़े समूह को 4 छोटे समूहों में बाँट दिया गया और प्रत्येक समूह को उस सत्र की प्रक्रिया को शेष सहभागियों को समझाने और इन सत्रों पर अभ्यास सत्र का संचालन करने का कार्य दिया गया।

<u>**समूहों को अभ्यास हेतु दिये गये सत्र –**</u>

समूह 1 & आपदा में समाजिक रूप से अलग–थलग समूहों की स्थिति।

समूह 2 & निःसहायता और क्षमता आंकलन में समाजिक समावेश।

समूह 3 & सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने हेतु रणनीतियाँ

समूह 4 & सामाजिक अलगाव एवं निःसहायता को समझना।

अभ्यास सत्र की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के नियम दूसरे दिन के समान ही रखे गये।

समूहों में चर्चा के बाद प्रत्येक समूह ने अपने–अपने सत्रों की प्रक्रिया शेष सहभागियों को बतायी और इसके बाद अभ्यास हेतु तैयारियाँ की।

दूसरा सत्र : सामाजिक जुड़ाव मॉड्यूल पर अभ्यास सत्र

अवधि : 3 1/2 घंटा

<u>**सत्र विवरण –**</u>

उद्देश्य : सामाजिक जुड़ाव विषय पर सत्र संचालन हेतु सहभागियों को अभ्यास कराना

पद्धति : सहभागियों द्वारा अभ्यास सत्रों का संचालन

भोजनावकाश के बाद दूसरे सत्र को चेतनागीत से शुरू किया गया और इसके बाद मॉड्यूल में दी गई प्रशिक्षण रूपरेखा में सत्रों के क्रम को ध्यान में रखते हुए समूहों द्वारा अभ्यास सत्र का संचालन किया गया।

प्रथम अभ्यास सत्र : समूह 4

सत्र की विषय–वस्तु और रूपरेखा से सभी को अवगत कराते हुए प्रतिभगियों ने एक खेल (स्टेप गेम) के माध्यम से स्पष्ट किया कि किस प्रकार समान होते हुए भी अवसरों की उपलब्धता तथा अन्य सामाजिक कारणों से कुछ लोग/समूह आगे बढ़ जाते है और शेष पीछे छूट जाते हैं। प्रस्तुतीकरण के बाद सत्र के बेतहर संचालन हेतु प्रशिक्षक द्वारा सुझाव दिये गये।

प्रशिक्षक के मुख्य सुझाव

खेल के लिए कथनों का चुनाव करते समय परिस्थितियों और सहभागियों को दी गई भूमिका को ध्यान में रखना चाहिए। समयाभाव के कारण यदि हम 10 के स्थान पर 5 भूमिकायें ही शामिल कर रहे हैं और 15 के स्थान पर 7 कथनों का ही प्रयोग कर रहे हैं तो मॉड्यूल में दिये गये कथनों में से ही उन्हीं कथनों को चुनना चाहिए जो सहभागियों को दी गई भूमिकाओं से मेल खाते हों। जरूरत होने पर कुछ नये कथनों को जोड़ा भी जा सकता है।

द्वितीय अभ्यास सत्र : समूह 2

प्रतिभगियों ने सत्र की विषय वस्तु और रूपरेखा से सभी सहभागियों को अवगत कराया। इसके बाद भाषण पद्धति का प्रयोग करते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़ी विभिन्न अवधारणाओं यथा संकट, आपदा, निःसहायता और क्षमता को स्पष्ट करने का प्रयास किया। सहभागियों को तीन छोटे समूहों में बाँट कर केस स्टडी के माध्यम से निःसहायता और क्षमता आंकलन की प्रक्रिया को समझाया गया।

सत्र के बेहतर संचालन हेतु प्रशिक्षक के मुख्य सुझाव

- सत्र के लिए आपदा जोखित न्यूनीकरण से जुड़ी विभिन्न अवधारणाओं पर प्रशिक्षक को स्वयं बहुत अच्छी समझ बना लेनी चाहिए।
- चूँकि अधिकांश कार्यदल सदस्य निरक्षर अथवा अल्पशिक्षित होंगे इसलिए इन अवधारणाओं की तकनीकी जटिलताओं में न जा कर इन्हें बहुत ही सामान्य भाषा में समझाना चाहिए और निःसहायता एवं क्षमता आंकलन प्रारूप के प्रयोग से बचना चाहिए।

तृतीय अभ्यास सत्र ॥ समूह 3

प्रतिभगियों ने सत्र की विषयवस्तु और रूपरेखा बताने के बाद डॉलपुली अभ्यास के माध्यम से सामाजिक जुड़ाव कार्यदल की जिम्मेदारियों पर स्पष्टता बनाई और साथ ही कार्यदल इन जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु अपनी कार्ययोजना किस तरह बनाएगा, इस पर समझ बनाने का प्रयास किया और बताया कि योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इस कार्य को कौन करेगा?

सत्र के बेहतर संचालन हेतु प्रशिक्षक के मुख्य सुझाव

- ✧ प्रशिक्षण में किसी भी खेल या अभ्यास का उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि सहभागियों की सीख को उस खेल या अभ्यास से जोड़ना होता है, इसलिए अभ्यासों में भी गम्भीरता का ध्यान रखना चाहिए और इसे मनोरंजन मात्र में परिवर्तित होने से बचाना चाहिए।
- ✧ खेल/अभ्यास के उपकरणो का उचित तरीके से कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है अन्यथा एकाग्रता बाधित होती है जो सीख को प्रभावित करती है। उदाहरण स्वरूप अभ्यास हेतु डॉलपुली उपकरण बनाना जटिल हो तो अव्यवस्थित उपकरण के स्थान पर हम तराजू या इस तरह के किसी अन्य उपकरण की मदद से भी इस विषय पर सीख बना सकते हैं।

चतुर्थ अभ्यास सत्र ॥ समूह 1

सत्र की विषय वस्तु और रूपरेखा परिचय के बाद प्रशिक्षक दल ने सहभागियों द्वारा रोल प्ले कराया और आपदा एवं राहत सामग्री के वितरण के समय सामाजिक रूप से अलग समूहों की स्थिति और उनकी परेशानियों पर सहभागियों को संवेदित किया।

सत्र के बेहतर संचालन हेतु प्रशिक्षक के मुख्य सुझाव

- ✧ रोल प्ले के लिए सहभागियों को ऐसे पात्र नहीं देने चाहिए जो उनकी स्वयं की भूमिका से मिलते–जुलते हों जैसे किसी विधवा को विधवा की भूमिका दे देना। पात्रों का चयन इस प्रकार करना चाहिए जिन्हें सहभागी समझ सकें, ऐसे लोगों को उन्होंने देखा हो लेकिन वो खुद, दी गई भूमिका से मेल न खाते हों।
- ✧ रोल प्ले के लिए पृष्ठभूमि का भी निर्माण करना चाहिए जैसे कमरे के किसी कोने को, राहत शिविर के रूप में चिन्हित करने के साथ ही वहाँ राहत शिविर जैसे माहौल और सामग्री जुटाना।
- ✧ रोल प्ले खत्म होने के बाद विश्लेषण में पात्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

इसके बाद संदर्भ व्यक्ति द्वारा एक अन्य अभ्यास कराया गया जिसमें एक सहभागी को बुलाकर उसे अपनी नोटबुक दी और उसके कुछ पृष्ठ जल्दी–जल्दी फाड़ने को कहा। सहभागी द्वारा पृष्ठ फाड़ दिये जाने के बाद प्रशिक्षक ने सहभागी को अपनी पुस्तक के पृष्ठ फाड़ने को कहा लेकिन सहभागी ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ नहीं फाड़े। प्रशिक्षक ने बताया कि किस तरह लोग मुफ्त का सामान लेते हैं और बर्बाद करते समय विचार नहीं करते, भले ही यह सामान उनके किसी काम का न हो या

नहीं। जिस प्रकार रोलप्ले में मुफ्त की राहत सामग्री को समाज के दबंग लोगो ने बिना यह विचार किये लूटा कि वो इस सारी सामग्री का प्रयोग कर भी पायेंगे या नहीं और अगर नहीं तो कुछ सामग्री वो अन्य लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, को दे सकते हैं। इस अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षक ने सहभागियों को समझाया कि प्रशिक्षण में इस तरह के सरल और रोचक अभ्यासों के माध्यम से सीख बनाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि हम प्रशिक्षण समूह पर ध्यान दिये बिना ही जटिल प्रक्रियाओं को अपनायें। इसी के साथ तीसरे दिन के अंतिम सत्र का समापन हुआ।

चौथा दिन ¼16 मई 2010½

पहला सत्र : शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मॉड्यूल

अवधि : 4 घंटा

<u>**सत्र विवरण –**</u>

उद्देश्य : शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मॉड्यूल की विषय वस्तु से सहभागियों को परिचित कराना और सत्र प्रक्रियाओं पर उनकी समझ बनाना।

पद्धति : बड़े समूह में चर्चा।

सत्र का प्रारम्भ चेतनागीत से हुआ तदुपरान्त सहभागियों के समूह ने तीसरे दिन के प्रशिक्षण का पुनरावलोकन किया। तीसरे दिन तक के प्रशिक्षण को देखते हुए समझ में आया कि सहभागियो की अवधारणाओं पर व्यापक समझ नहीं बन पाई है।। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षक ने सहभागियों से प्रश्न करने शुरू किये और पूछा कि आपदा क्या है? सहभागियों के उत्तरों को समेकित करते हुए प्रशिक्षक ने बताया कि आपदा एक ऐसी आकस्मिक घटना या संकट है, जिसमें जानमाल का नुकसान होता है।

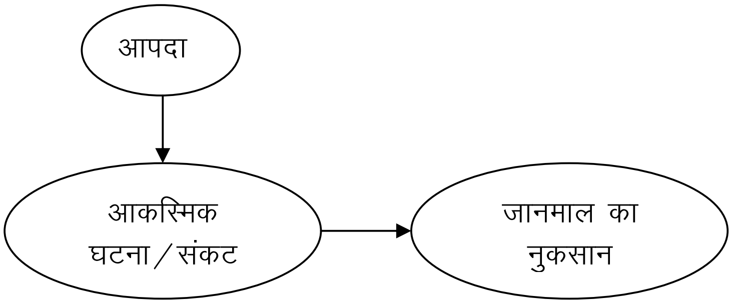

इसी क्रम में प्रशिक्षक ने अगला प्रश्न किया कि प्रबंधन से क्या अर्थ है? सहभागियों के उत्तरों में मुख्य थे –

- प्रबन्धन व्यवस्था है
- प्रबंधन जोखिम कम करने की व्यवस्था है।
- प्रबंधन संसाधनों के नियोजन और इस्तेमाल का प्रभावी तरीका है।

समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को समझने हेतु पहले समुदाय को समझना जरूरी है। समुदाय का अर्थ समझाते हुए प्रशिक्षक ने बताया कि समुदाय किसी स्थान विशेष पर रहने वाले ऐसे लोगों का समूह है जिनके बीच सामाजिक/आर्थिक/राजनीतिक अन्तर्सम्बन्ध हो।

साथ ही समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करने के क्रम में प्रशिक्षक ने बताया कि पहले सरकार को ही आपदा प्रबंधन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार समझा जाता था लेकिन सामान्य अनुभवों में पाया गया कि आपदा आने पर सबसे पहले समुदाय प्रभावित होता है तथा राहत और बचाव के लिए भी सबसे पहले सक्रिय होता है। अतः विचार किया गया कि समुदाय की क्षमता को इस तरह बढ़ाया जाये कि वो राहत और बचाव के कार्य को प्रभावी तरीके से कर सकें। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की शरूआत इसी विचार के साथ हुई जिसके अन्तर्गत आपदा प्रबंधन में समुदाय और इसके संसाधनों की केन्द्रीय भूमिका होती है। सुदूरवर्ती इलाकों के संबंध में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसके बाद प्रशिक्षक ने स्पष्ट किया कि प्रबंधन के तीन चरण होते हैं –

1- पहले

2- दौरान

3- बाद में

आपदा प्रबंधन में भी ये तीनों चरण शामिल हैं और हमारे प्रशिक्षण मॉड्यूल भी इन्हीं तीनों चरणों को ध्यान में रखकर तैयार किये गये हैं। कार्यदलों के प्रशिक्षण के लिए ये स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रबंधन के तीन चरण और प्रशिक्षण मॉड्यूल

पहले
- पूर्व चेतावनी
- बचाव के तरीकों पर प्रशिक्षण

दौरान
- खोज एवं बचाव
- प्राथमिक उपचार
- शुद्धपेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

बाद में
- पुर्नवास
- प्राथमिक उपचार
- शुद्धपेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

समाजिक जुड़ाव

इसके बाद प्रशिक्षक ने सहभागियों को अगले दिन समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, इसकी रणनीति व इससे जुड़े हुए चरणों पर लेख लिखकर लाने को कहा।

सत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रशिक्षक ने ''शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य'' मॉड्यूल की रूपरेखा को सहभागियों से पढ़ने को कहा और सत्र की प्रक्रिया को समझने में उनकी मदद की। अभ्यास सत्र हेतु समूहों का विभाजन इस प्रकार हुआ।

समूह 1 वातावरण की स्वच्छता

समूह 2 शुद्ध पेयजल

समूह 3 बीमारियां और बचाव

अभ्यास सत्र की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के नियम दूसरे दिन के समान ही रखे गये।

दूसरा सत्र : शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मॉड्यूल पर अभ्यास सत्र

अवधि : 3 1/2 घंटा

सत्र विवरण –

उद्देश्य : शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्यविषय पर सत्र संचालन हेतु सहभागियों को अभ्यास कराना

पद्धति : सहभागियों द्वारा अभ्यास सत्रों का संचालन।

भोजनावकाश के बाद दूसरे सत्र का प्रारम्भ चेतनागीत से हुआ और इसके बाद सहभागियों ने एक–एक कर क्रम से अभ्यास सत्रों का संचालन किया।

प्रथम अभ्यास सत्र : समूह 1

प्रतिभगियों ने सत्र की विषय वस्तु और रूपरेखा से सभी सहभागियों को परिचित कराया और बड़े समूह में चर्चा करते हुए सभी सहभागियों को दो–दो कार्ड बाँटे। एक पर दूषित वातावरण से होने वाली एक–दो समस्याओं और दूसरे पर वातावरण को स्वच्छ रखने के एक उपाय लिख कर देने को कहा। अन्त में भाषण पद्धति अपनाते हुए प्रतिभगियों ने दूषित वातावरण से होने वाली समस्याओं और वातावरण की स्वच्छता के उपायों पर समझ बनाने का प्रयास किया।

सत्र के बेहतर संचालन हेतु प्रशिक्षक के मुख्य सुझाव

- बड़े समूह में चर्चा के बाद चर्चा से निकले हुए बिन्दुओं को चर्चा के समेकन / चर्चा को आगे बढ़ाने में अवश्य शामिल करना चाहिए अन्यथा चर्चा उद्देश्य विहीन है।
- प्रशिक्षण हेतु चार्ट को पहले से तैयार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि चार्ट का इस्तेमाल कहाँ करना है और उसी अनुसार बिन्दुओं को शामिल करना चाहिए, न कि मॉड्यूल में दिये गये बिन्दुओं को आधा अधूरा बिन्दुवार उतार देना चाहिए।

द्वितीय अभ्यास सत्र : समूह 2

सत्र की विषय वस्तु और रूपरेखा के परिचय के बाद प्रतिभगियों ने चित्र कार्ड अभ्यास कराया और इसके बाद बड़े सूह में चर्चा के माध्यम से जल प्रदूषित होने के कारणों पर स्पष्टता बनाई और छोटे

समूह में चर्चा कराते हुए पानी को दूषित होने से बचाने हेतु क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और जल शुद्धीकरण के विभिन्न तरीकें पर समझ बनाने का प्रयास किया।

सत्र के बेहतर संचालन हेतु प्रशिक्षक के मुख्य सुझाव

- चार्ट या बोर्ड पर लिखते समय लिखावट साफ और इतनी बड़ी होने चाहिए कि सभी सहभागियों के द्वारा पढ़ी जा सके।
- चार्ट पर विस्तार में लिखने के बजाय मुख्य बिन्दु ही लिखे जाने चाहिए।

तृतीय अभ्यास सत्र : समूह 3

प्रतिभगियों ने सत्र की विषयवस्तु और रूपरेखा से सभी सहभागियों को अवगत कराया । अभ्यास और छोटे समूह में चर्चा द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि बाढ़ के दौरान/बाद में फैलने वाली कौन सी बीमारियाँ गन्दे पानी के कारण होती है? कौन सी बीमारियाँ गन्दे वातावरण से और कौन सी रोगी मनुष्य से दूसरे मनुष्य को हो जाती है।

अभ्यास सत्रों के बाद सत्र के अंत में प्रशिक्षक ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ सत्र का समापन किया।

<u>पाँचवां दिन ¼17 मई 2010½</u>

पहला सत्र : खोज एवं बचाव मॉड्यूल

अवधि	:	3 1/2 घंटा
<u>सत्र विवरण –</u>		
उद्देश्य	:	1. खोज एवं बचाव के महत्व पर सहभागियों को संवेदित करते हुए विषय से जुड़ी बुनियादी जानकारी देना। 2. खोज एवं बचाव मॉड्यूल की विषय वस्तु से परिचित कराना और सत्र प्रक्रियाओं पर उनकी समझ बनाना।
पद्धति	:	बड़े समूह में चर्चा एवं भाषण, छोटे समूह सें चर्चा।

सत्र का प्रारम्भ प्रार्थनागान से हुआ। सहभागियों के समूह ने चौथे दिन के प्रशिक्षण का पुनरावलोकन किया। प्रशिक्षक ने सहभागियों को आज के विषय **''खोज एवं बचाव और प्राथमिक उपचार''** से अवगत कराया।

सहभागियों को खोज एवं बचाव के महत्व पर संवेदित करते हुए प्रशिक्षक ने कहा कि व्यक्ति कितना असहाय हो जाता है जब वो अपने सामने अपने किसी मित्र, रिश्तेदार या पशुओं को बाढ़ में डूबते हुए देखता है लेकिन उन्हें बचा नहीं पाता। सहभागियों ने बाढ़ के दौरान अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं पर सभी के साथ अपने अनुभव बांटे। सहभागियों की बातों में जोड़ते हुए प्रशिक्षक ने कहा कि बाढ़ या अन्य किसी संकट पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन जान–माल के नुकसान को कम कर आपदाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।

खोज एवं बचाव की आपदाओं को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। परन्तु खोज एवं बचाव एक तकनीकी कार्य है, जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रशिक्षण को हर व्यक्ति नहीं दे सकता। हमें भी अपने कार्यदलों को खोज और बचाव विषय पर प्रशिक्षित करने हेतु विषय पर दक्ष संदर्भ व्यक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रशिक्षण के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु जरूरी है कि प्रशिक्षक के रूप में हमें भी विषय पर बुनियादी समझ हो।

इसके बाद प्रशिक्षक ने बड़े समूह में चर्चा की कि खोज एवं बचाव कार्यदल के रूप में कैसे लोगों का चयन करना चाहिए और खोज एवं बचाव कार्य हेतु क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। चर्चा के अन्तर्गत निम्न बिन्दु निकलकर आये –

खोज एवं बचाव कार्यदल हेतु लोगों का चयन	खोज एवं बचाव कार्य की प्रक्रिया
ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो – ▪ शारीरिक और मानसिक रूप से बलवान हों । ▪ त्वरित निर्णय ले सकते हों। ▪ जिन्होंने पहले भी इस तरह का कार्य किया हो जैसे सेना/पुलिस के लोग। ▪ जिनमें आपदा के समय जान जोखिम में डाल कर दूसरों को बचाने की इच्छा शक्ति, सवेदनशीलता हो। ▪ महिलाओं को भी दल में शामिल करना चाहिए। ▪ दल के चुनाव के बाद दल में एक नेता और उपनेता का चुनाव भी महत्वपूर्ण है।	▪ सर्वप्रथम स्थिति का आंकलन और विश्लेषण जरूरी है। ▪ विश्लेषण के बाद योजना निर्माण करना चाहिए। ▪ योजनानुसार खोज एवं बचाव कार्य करना चाहिए।

चर्चा के बाद सहभागियों द्वारा खोज एवं बचाव मॉड्यूल की रूपरेखा को पढ़ा गया और प्रशिक्षक ने सत्र की प्रक्रिया को समझने में उनकी मदद की। इसके बाद सहभागियों को अपने–अपने पूर्व निर्धारित समूहों में बैठकर मॉड्यूल के उन सत्रों पर चर्चा करने को कहा गया जिनमें डिमॉन्स्ट्रेशन (करके दिखाना) व ड्रिल (अभ्यास) को नहीं शामिल किया गया है। प्रशिक्षक ने बताया कि खोज एवं बचाव पर प्रशिक्षण सन्दर्भ व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा अतः हम अभ्यास सत्रों का संचालन नहीं करेंगे बल्कि सत्र की प्रक्रिया कैसे चलेगी, इस पर प्रस्तुतीकरण देंगे। प्रस्तुतीकरण में निम्न बिन्दुओं को शामिल किया जायेगा –

1. सत्र की प्रक्रिया
2. सत्र की विषयवस्तु के मुख्य बिन्दु

समूह चर्चा हेतु दिये गये सत्र –

समूह 1 खोज और बचाव : एक परिचय

समूह 2 पशुधन का बचाव

समूह 3 लोगों को बचाना और सुरक्षित जगह पर पहुँचाना

चर्चा के लिए 20 मिनट का समय दिया। सभी समूहों द्वारा क्रमवार प्रस्तुतीकरण के साथ पहले सत्र का समापन हुआ।

दूसरा सत्र : प्राथमिक उपचार मॉड्यूल

अवधि : 3 घंटा

<u>**सत्र विवरण –**</u>

उद्देश्य :
1. प्राथमिक उपचार के महत्व पर सहभागियों को संवेदित करते हुए विषय से जुड़ी बुनियादी जानकारी देना।
2. प्राथमिक उपचार मॉड्यूल की विषय वस्तु से परिचित कराना और सत्र प्रक्रियाओं पर उनकी समझ बनाना।

पद्धति : बड़े समूह में चर्चा एवं भाषण, छोटे समूह सें चर्चा।

भोजनावकाश के बाद सत्र के प्रारम्भ में सहभागियों ने एक स्थानीय गीत गाया। प्रशिक्षक ने सत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपदा के दौरान जान–माल को होने वाली क्षति को कम करने में खोज एवं बचाव के साथ ही प्राथमिक उपचार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खोज एवं बचाव के समान ही प्राथमिक उपचार भी एक तकनीकी कार्य है जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सहभागियों से बड़े समूह में चर्चा करते हुए प्रशिक्षक ने बताया कि किसी रोगी या घायल को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दिया जाने वाला उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार कभी भी डॉक्टरी चिकित्सा की जगह नहीं ले सकता और इसका एक मात्र उद्देश्य रोगी की स्थिति को गम्भीर होने से बचाना होता है।

प्राथमिक उपचार की शुरूआत धर्मयुद्धों के दौरान घायल हुए लोगों की मरहम पट्टी एवं अन्य जरूरी उपचार से हुई थी। बाद में रेडक्रॉस और सेन्टजॉन एम्बुलेन्स की स्थापना हुई जिसने प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायलों की प्राथमिक चिकित्सा का सराहनीय कार्य किया। कुछ वर्षों बाद आम नागरिकों को भी प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, लेकिन आज भी प्राथमिक उपचार का मूल उद्देश्य है – आपदा में घायल, बीमार लोगों को उपचार देकर उनकी मदद करना।

इसके बाद प्राथमिक उपचार मॉड्यूल की रूपरेखा को सहभागियों द्वारा पढ़ा गया और प्रशिक्षक ने सत्र की प्रक्रिया को समझने में उनकी मदद की। सहभागियों को एक खेल द्वारा दो–दो के समूह में बांट दिया गया और प्रत्येक समूह को मॉड्यूल के एक सत्र पर चर्चा और सत्र की प्रक्रिया और विषय वस्तु पर प्रस्तुतीकरण का कार्य दिया गया।

समूह चर्चा हेतु दिये गये सत्र

समूह 1 --- प्राथमिक उपचार : एक परिचय

समूह 2 --- प्राथमिक उपचार : सामान्य कौशल (मरहम–पट्टी, स्लिंग)

समूह 3 ---- प्राथमिक उपचार : सामान्य कौशल (स्लिंग, रिकवरी पोजीशन, घायल व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना)

समूह 4 ---- विभिन्न समस्याओं के लिए प्राथमिक उपचार (घाव और खून बहने पर सांप–बिच्छू काटने पर)

समूह 5 ---- विभिन्न समस्याओं के लिए प्राथमिक उपचार (डूबने और दम घुटने पर)

समूह 6 ---- विभिन्न समस्याओं के लिए प्राथमिक उपनचार (हड्डी टूटने, बिजली का झटका लगने और सदमा लगने पर)

चर्चा के लिए 20 मिनट का समय दिया गया। चर्चा के बाद सभी समूहों द्वारा क्रमवार प्रस्तुतीकरण के साथ पांचवें दिन के दूसरे सत्र का समापन हुआ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रशिक्षक द्वारा दिये गये मुख्य सुझाव

- मॉड्यूल एक मार्गदर्शिका की तरह है लेकिन मॉड्यूल में विषय से जुड़े सभी बिन्दु शामिल करना सम्भव नहीं है। बेहतर होगा कि सहभागी स्वयं भी विषय पर अपनी ज्यादा से ज्यादा समझ बनाने की कोशिश करें।
- बड़े समूह में चर्चा के दौरान सहभागियों की बातों को समेकित करने के साथ ही, एक दो नई जानकारियाँ अपनी ओर से जोड़ने की कोशिश करें ताकि सहभागियों हेतु प्रशिक्षण की सार्थकता बनी रहे।
- प्राथमिक उपचार पर बात करते समय ध्यान रखें कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दिया जाने वाला हर उपचार प्राथमिक उपचार की श्रेणी में नहीं आता। घरेलू और प्राथमिक उपचार के अन्तर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और सहभागियों को भी समझाना चाहिए कि गांव में प्रचलित उपचार कभी–कभी नुकसानदायक भी हो सकते हैं।

छठा दिन ¼18 मई 2010½

पहला सत्र : प्रशिक्षण कार्यक्रम का फॉलोअप एवं मूल्यांकन

अवधि : 4 घंटा

सत्र विवरण –

उद्देश्य : सहभागियों के साथ फॉलोअप कार्ययोजना तैयार करना।

पद्धति : छोटे समूह में चर्चा।

छठे दिन का प्रारम्भ चेतनागीत से हुआ। सहभागियों द्वारा पिछले दिन के पुनरावलोकन के बाद प्रशिक्षक ने कहा कि इस प्रशिक्षण के बाद सभी सहभागी अपने–अपने क्षेत्र में कार्यदलों को प्रशिक्षण देंगें। इस प्रशिक्षण के लिये हमे पहले भी कुछ तैयारियां करनी होंगी और बाद में भी कई कार्य करने होंगे। साथ ही, केन्द्र द्वारा कार्यदलों के लिए 31 मई से 15 जून 2010 तक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा। केन्द्र एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रशिक्षण में एक समन्वय की आवश्यकता है ताकि केन्द्र के साथी, संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में उपस्थित होकर सहयोग कर सकें। इस दृष्ठि से सभी सहयोगी संस्थाओं द्वारा एक कार्ययोजना का निर्माण एवं सभी के सामने उसका प्रस्तुतीकरण सहायक होगा। सभी सहभागियों को अपनी–अपनी संस्था के साथी के साथ बैठ कर निम्न बिन्दुओं को शामिल करते हुए एक कार्ययोजना का निर्माण करने का कार्य दिया गया –

- ✧ **कार्यदल गठन हेतु सम्पर्क बैठकें – कब से कब तक**
- ✧ **कार्यदलों का गठन (प्रावधानों के अनुरूप) – कब से कब तक**
- ✧ **कार्यदल सदस्यों के साथ बैठकें – कब से कब तक**
- ✧ **5 विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथियाँ**
- ✧ **प्रशिक्षण की व्यवस्थायें (स्थान का चयन, सामग्री, भोजन, चाय–पानी, यात्रा आदि)**
- ✧ **प्रशिक्षण की तैयारी**

प्रशिक्षक ने बताया कि कार्ययोजना बनाने से पहले सहभागी, अपने संस्था प्रमुख से बात कर सकते हैं, ये कार्ययोजना अस्थाई होगी जिसमें थोड़ा–बहुत फेरबदल सम्भव होगा।

कार्ययोजना निर्माण हेतु सहभागियों को एक घण्टे का समय दिया गया।

इसके बाद सभी संस्थाओं ने अपनी–अपनी कार्ययोजना को प्रस्तुत किया।

प्रशिक्षक ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद सहयोगी संस्थाओं को कार्यदलों के प्रशिक्षणों का प्रतिवेदन केन्द्र को भेजना होगा। जरूरी नहीं है कि प्रतिवेदन सभी 5 प्रशिक्षणों के समाप्त होने पर भेजा जाये, बल्कि बेहतर होगा कि 2 प्रशिक्षणों के समाप्त होने पर इनका प्रतिवेदन केन्द्र को भेज दिया जाये।

इस दृष्टिकोण से दो प्रशिक्षणों के बीच एक दिन का अन्तराल देना सहायक होगा। साथ ही, प्रशिक्षक ने सहभागियों को बताया कि इस प्रतिवेदन का प्रारूप क्या होगा –

प्रतिवेदन प्रारूप

प्रशिक्षण का नाम **दिनांक** **स्थान** **आयोजक**	**मुख पृष्ठ पर**

पृष्ठभूमि

प्रथम दिवस –

प्रक्रिया एवं विषय वस्तु, मुख्य सीख

द्वितीय दिवस –

पुनरावलोकन

प्रक्रिया एवं विषय वस्तु, मुख्य सीख

प्रतिवेदन के साथ सहभागियों द्वारा हस्ताक्षरित उनके नामों की सूची, जिसे प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया हो, एवं प्रशिक्षण के दौरान लिये गये 3–4 चित्र (फोटो) भी आवश्यक होंगे।

प्रशिक्षक ने कहा कि इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सभी सहयोगी संस्थायें यहां प्रस्तुत की गई कार्ययोजना पर अपने संस्था प्रमुख से बात करें और इसे अंतिम स्वरूप देकर यथाशीघ्र केन्द्र को भेज दें।

इसके बाद प्रशिक्षण मूल्यांकन प्रपत्र का वितरण कर सहभागियों को प्रपत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करने को कहा गया। अंत में सभी को शुभकामनाओं के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई।

प्रशिक्षण का मूल्यांकन

प्रशिक्षण के अंतिम दिन सहभागियों द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र भर कर प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया गया। नीचे दी गई तालिका इन मूल्यांकन प्रपत्रों के आधार पर तैयार की गई है। जिसमें सहभागियों ने प्रपत्र में दिये गये विभिन्न मूल्यांकन मानकों को अंक देकर प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया। प्रपत्र में मानकों को दिये गये अंकों का अर्थ है –

1 बहुत कम

2 कम

3 औसत

4 अच्छा

5 बहुत अच्छा

तालिका में इन अंकों के सामने या नीचे लिखी गई संख्या उन सहभागियों की संख्या है जिन्होंने उस मानक विशेष को ये अंक (1/2/3/4/5) दिये हैं।

1- उक्त प्रशिक्षण किस हद तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो पाया है?

1	**2**	**3**	**4**	**5**
0	0	0	6	7

2. निम्नलिखित मॉड्यूल पर आपकी कितनी समझ बनी?

क्र सं	विषय	मूल्यांकन				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
i	पूर्व चेतावनी	0	0	2	3	7
ii	खोज एवं बचाव	0	0	5	2	6
iii	प्राथमिक उपचार	0	0	3	2	7
iv	शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य	0	0	0	7	6
v	सामाजिक जुड़ाव	0	0	1	4	8

4- प्रशिक्षण पद्धतियों पर कितनी समझ बनी?

क सं	प्रशिक्षण पद्धतियाँ	मूल्यांकन				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
i	छोटे समूह में चर्चा	0	0	4	4	5
ii	बड़े समूह में चर्चा	0	0	3	3	6
iii	भाषण	0	0	1	8	4
iv	खेल	0	1	2	6	4
v	डिमॉन्सट्रेशन (करके दिखाना)	0	2	1	4	5
vi	रोल प्ले	0	0	3	5	5

5- व्यवस्था पर अपने विचार दें

क सं	व्यवस्था	मूल्यांकन				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
i	भोजन, रहना	0	0	1	5	6
ii	प्रशिक्षण कक्ष	0	0	0	2	10

5. प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग की पद्धतियां कितनी उपयोगी थीं?

1	**2**	**3**	**4**	**5**
0	0	1	2	9

6. ऐसी दो सबसे महत्वपूर्ण बातें लिखें जो आपने इस प्रशिक्षण के दौरान सीखी हैं

- ✧ आपदा क्या है
- ✧ आपदा के समय पूर्व चेतावनी तंत्र के सक्रिय होने पर जोखिम को बहुत कम किया जा सकता है।
- ✧ आपदा, जोखिम, संकट, क्षमता और निःसहायता की अवधारणा पर अच्छी समझ बनी है।
- ✧ प्रशिक्षण के दौरान विषय वस्तु पर गहरी समझ जरूरी है।
- ✧ प्रशिक्षण के लिए भी पूर्व योजना और तैयारी बहुत आवश्यक है।
- ✧ कार्यदल की जिम्मेदारियां क्या होंगी।
- ✧ प्रशिक्षण में सटीक उदाहरणों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है।
- ✧ पद्धतियों का प्रशिक्षण में क्या महत्व और उपयोग है।

- ✧ आपदा प्रबंधन में समुदाय की सहभागिता अनिवार्य है।

7. क्या सीखने में कोई दिक्कत थी, यदि हां तो कृपया स्पष्ट करें –

- ✧ अधिकतर सहभागियों को सीखने में कोई परेशानी नहीं हुई। एक सहभागी का विचार था कि बाढ़ प्रबंधन विषय पर पहले से बिल्कुल जानकारी नहीं थी और इस प्रकार के प्रशिक्षण में कभी भाग नहीं लिया था, इसलिए कहीं–कहीं दिक्कतों का समाना करना पड़ा।

8. प्रशिक्षण में सीखे गये ज्ञान–जानकारी और कुशलता को आप कैसे उपयोग करेंगे–

- ✧ सभी सहभागियों का उत्तर था कि वो समुदाय में जागरूकता के प्रचार–प्रसार और कार्यदलों को प्रशिक्षण देते समय एवं अन्य संस्थागत कार्यों में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान और कुशलता का उपयोग करेंगे।

9. प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने हेतु कृपया एक या दो सुझाव दें

- ✧ एक साथ इतने विषयों पर प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए।
- ✧ विषयों पर अधिक विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।
- ✧ डॉ. हरीश वशिष्ट को प्रशिक्षण की पूरी अवधि में रूकना चाहिए था।
- ✧ सत्रों की वीडियो रिकार्डिगं होनी चाहिए जिससे बेहतर समझ बनती है।
- ✧ प्रशिक्षण में उदाहरणो का और अधिक प्रयोग करना चाहिए।
- ✧ प्राथमिक उपचार और खोज एवं बचाव पर भी अभ्यास सत्रों का संचालन होना चाहिए था।

10. कृपया प्रशिक्षक के बारे में अपनी राय दें–

- ✧ सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही सरल तरीके और सरल भाषा में विषयों पर समझ बनाने में मदद की।

परिशिष्ट

सहभागियों की सूची

क्रमांक	नाम	संस्था का नाम
1.	श्री कुमार विश्वकर्मा	साहस सेवा संस्थान
2.	श्री चन्द्र प्रकाश	साहस सेवा संस्थान
3.	श्री खजांची लाल यादव	देहात
4.	श्री बिन्दु सेन शुक्ला	देहात
5.	श्री विनय कुमार सिंह	अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
6.	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
7.	श्री कल्लू कहार	पंचशील डेवलपमेंट ट्रस्ट
8.	सुश्री पल्लवी त्रिपाठी	पंचशील डेवलपमेंट ट्रस्ट
9.	श्री आनन्द शंकर बाजपेई	भारतीय ग्रामोद्योग सेवा विकास संस्थान
10.	श्री सियाराम अवस्थी	भारतीय ग्रामोद्योग सेवा विकास संस्थान
11.	श्री सुरेन्द्र नाथ	अनुसूचित एवं जनजाति ग्रामोद्योग विकास समिति
12.	श्री विष्णु कुमार	अनुसूचित एवं जनजाति ग्रामोद्योग विकास समिति
13.	श्री धीरेन्द्र कुमार राय	अनुसूचित एवं जनजाति ग्रामोद्योग विकास समिति
14.	श्री रवीन्द्र अवस्थी	अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान

टिप्पणी : अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के श्री विनोद कुमार पाण्डेय को व्यक्तिगत कारणों से प्रशिक्षण के पहले दिन ही लौटना पड़ा, उनके स्थान पर उनकी संस्था से श्री रवीन्द्र अवस्थी ने दूसरे दिन से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

<u>प्रशिक्षक दल</u>

1. श्री नागेन्द्र सिंह

2. श्री हरीश वशिष्ठ

3. श्री राकेश कुमार नीरज

4. श्री बी० एन० दास

5. श्री संजय कुमार

6. सुश्री महिमा तिवारी

<u>प्रशिक्षण रूपरेखा</u>

उद्देश्यः आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किये गये पांच विषयों–पूर्व चेतावनी, खेज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, शुद्धपेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तथा सामाजिक जुड़ाव पर प्रशिक्षण संचालन हेतु मास्टर ट्रेनर तैयार करना।

प्रतिभागीः उत्तर प्रदेश के बहराईच जनपद के 6 गैर सरकारी संगठनों के 12 कार्यकर्ता।

पहला दिन

समय	विषय वस्तु	पद्धति	आवश्यक सामग्री	सहजकर्ता
प्रातः 9.00 बजे से 10.00 बजे	रजिस्ट्रेशन		रजिस्टर, पेन, बैग	डी.एम.आर.सी. सदस्य
प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे	स्वागत, परिचय प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि प्रतिभागियों की उम्मीदों का निरूपण	बड़े समूहों में चर्चा एवं भाषण	ह्वाईट बोर्ड मार्कर , चार्ट पेपर	प्रशिक्षक दल
प्रातः 11.30 बजे से 11.45 बजे	चायावकाश			
दोपहर 11.45 बजे से 1.00 बजे	सहभागी शिक्षण केन्द्र टी.ओ.टी. मैनुअल का पुनरावलोकन	छोटे समूह में चर्चा	ह्वाईट बोर्ड चार्ट पेपर मार्कर	प्रशिक्षक दल
दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे तक	भोजनावकाश			
दोपहर 2.00 से 3.30 बजे तक	समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण			
दोपहर 23.30 बजे से 3.45 तक	चायावकाश			
दोपहर 3.45 बजे से सांय 5.00 बजे तक	प्रशिक्षण मॉड्यूल का पुनरावलोकन	छोटे समूह में चर्चा		

सांय 5.00 बजे से 5.10 तक	लघु अन्तराल			
सांय 5.10 बजे से 6.00 बजे तक	खुला सत्र			

दूसरा दिन

समय	विषय वस्तु	पद्धति	आवश्यक सामग्री	सहजकर्ता
प्रातः 9.00 बजे से 9.30 बजे	पहले दिन का पुनरावलोकन	सहभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण		प्रशिक्षक दल
भाग -1				
प्रात 9.30 बजे से 10.30 बजे	पूर्व चेतावनी महत्व एवं लाभ	भाषण	ह्वाईट बोर्ड मार्कर	प्रशिक्षक दल
भाग -2				
प्रातः 10.30 बजे से 11.30 बजे	पूर्व चेतावनी मॉड्यूल (पद्धतियों एवं विषय वस्तु) पर चर्चा	बड़े समूह में चर्चा	पूर्व चेतावनी प्रशिक्षण मॉड्यूल	प्रशिक्षक दल
प्रातः 11.00 बजे से 11.45 बजे	चायवकाश			
भाग -3				
प्रातः 11.45 बजे से दोपहर 1.00 बजे	अभ्यास सत्र हेतु तैयारी	छोटे समूह में चर्चा		
दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे	भोजनावकाश			
भाग -4				
दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे	अभ्यास सत्र एवं फीड बैक	सहभागियों द्वारा चयनित सत्र के अनुसार	चयनित सत्र के अनुसार	प्रशिक्षक दल
शांय 4.00 बजे से 4.15 बजे	चायावकाश			
शांय 4.15 बजे से 6.00 बजे	अभ्यास सत्र एवं फीडबैक	सहभागियों द्वारा चयनित सत्र के अनुसार	चयनित सत्र के अनुसार	

तीसरा दिन

समय	विषयवस्तु	पद्धति	आवश्यक सामग्री	सहजकर्ता
प्रातः 9.00 बजे से 9.30 बजे	दूसरे दिन का पुनरावलोकन	सहभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण		
भाग -1				
प्रात 9.30 बजे से 10.30 बजे	सामाजिक जुड़ाव परिचय एवं महत्व	भाषण	ह्वाईट बोर्ड मार्कर	प्रशिक्षक दल
भाग-2				
प्रातः 10.30 बजे से 11.30 बजे	सामाजिक जुड़ाव मॉड्यूल (पद्धतियां एवं विषय–वस्तु) पर चर्चा	बड़े समूह में चर्चा	सामाजिक जुड़ाव प्रशिक्षण मॉड्यूल	प्रशिक्षक दल
प्रातः 11.30 बजे से 11.45 बजे	चायावकाश			
भाग-3				
प्रातः 11.45 बजे से दोपहर 1.00 बजे	अभ्यास सत्र हेतु तैयारी	छोटे समूह में चर्चा		
दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे	भोजनावकाश			
भाग -4				
दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे	अभ्यास सत्र एवं फीड बैक	सहभागियों द्वारा चयनित सत्र के अनुसार	चयनित सत्र के अनुसार	प्रशिक्षक दल
शांय 4.00 बजे से 4.15 बजे	चायावकाश			
शांय 4.15 बजे से 6.00 बजे	अभ्यास सत्र एवं फीडबैक	सहभागियों द्वारा चयनित सत्र के अनुसार	चयनित सत्र के अनुसार	

चौथा दिन

समय	विषय वस्तु	पद्धति	आवश्यक सामग्री	सहजकर्ता
प्रातः 9.00 बजे से 9.30 बजे	तीसरे दिन का पुनरावलोकन	सहभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण		प्रशिक्षक दल
		भाग-1		
प्रातः 9.30 बजे से 10.30 बजे	शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य परिचय एवं महत्व	भाषण	ह्वाईट बोर्ड मार्कर	प्रशिक्षक दल
		भाग-2		
प्रातः 10.30 बजे से 11.30 बजे	शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मॉड्यूल (विषय वस्तु एवं पद्धतियां) पर चर्चा	बडे समूह में चर्चा	शुद्ध पेयजल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मॉड्यूल	
प्रातः 11.00 बजे से 11.45 बजे	चायवकाश			
		भाग-3		
प्रातः 11.45 बजे से दोपहर 1.00 बजे	अभ्यास सत्र हेतु तैयारी	छोटे समूह में चर्चा		
दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे	भोजनावकाश			
		भाग-4		
दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे	अभ्यास सत्र एवं फीड बैक	सहभागियों द्वारा चयनित सत्र के अनुसार	चयनित सत्र के अनुसार	प्रशिक्षक दल
शांय 4.00 बजे से 4.15 बजे	चायावकाश			
शांय 4.15 बजे से 6.00 बजे	अभ्यास सत्र एवं फीडबैक	सहभागियों द्वारा चयनित सत्र के अनुसार	चयनित सत्र के अनुसार	

पांचवा दिन

समय	विषयवस्तु	पद्धति	आवश्यक सामग्री	सहजकर्ता
प्रातः 9.00 बजे से 9.30 बजे	चौथे दिन का पुनरावलोकन	सहभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण		प्रशिक्षक दल
भाग-1				
प्रातः 9.30 बजे से 10.30 बजे	खोज एवं बचाव परिचय एवं महत्व	बडे समूह में चर्चा एवं भाषण	हवाईट बोर्ड मार्कर	प्रशिक्षक दल
प्रातः 10.30 बजे से 11.30 बजे	खोज एवं बचाव मॉड्यूल (विषयवस्तु एवं पद्धतियां) पर चर्चा	बडे समूह में चर्चा	खोज एवं बचाव प्रशिक्षण माड्यूल	प्रशिक्षक दल
प्रातः 11.30 बजे से 11.45 बजे	चायावकाश			
भाग-2				
प्रातः 11.45 बजे से दोपहर 1.00 बजे	खोज एवं बचाव मॉड्यूल के सत्रों की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया पर चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	छोटे समूह में चर्चा	फ्लिप चार्ट, मार्कर	प्रशिक्षक दल
दोपहर 1.00 बजे से दोपहर 2.00बजे	भोजनावकाश			
भाग-3				
दोपहर 2.00 बजे से दोपहर 2.45बजे	प्राथमिक उपचार परिचय एवं महत्व	बड़े समूह में चर्चा एवं भाषण	हवाईट बोर्ड मार्कर	प्रशिक्षक दल
दोपहर 2.45 बजे से दोपहर 3.15 बजे	प्राथमिक उपचार मॉड्यूल (विषय वस्तु एवं पद्धतियां) पर चर्चा	बड़े समूह में चर्चा	प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण माड्यूल	प्रशिक्षक दल
दोपहर 3.15 से 3.30 बजे	चायावकाश			

भाग-4				
दोपहर 3.30 से शांय 5.30 बजे	प्राथमिक उपचार माड्यूल के सत्रों की विषय वस्तु एवं सत्र–प्रक्रियाओं पर चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	छोटे समूह में चर्चा	फ्लिप चार्ट पेपर तथा मार्कर	

छठा दिन

समय	विषयवस्तु	पद्धति	आवश्यक सामग्री	सहजकर्ता
प्रातः 9.00 बजे से 9.30 बजे	पांचवे दिन का पुनरावलोकन	सहभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण		प्रशिक्षक दल
प्रात 9.30 बजे से 11.30 बजे	प्रशिक्षण की फालोअप योजना एवं सहभागियों द्वारा कार्ययोजना का निर्माण	बडे समूह में चर्चा एवं छोटे समूह में चर्चा	हवाईट बोर्ड मार्कर, फ्लिप चार्ट पेपर	प्रशिक्षक दल
प्रातः 11.30 बजे से 11.45 बजे	चायावकाश			
प्रातः 11.45 बजे से दोपहर 1.00 बजे	प्रशिक्षण की फालोअप योजना एवं सहभागियों द्वारा कार्ययोजना का निर्माण	बडे समूह में चर्चा एवं छोटे समूह में चर्चा	हवाईट बोर्ड मार्कर, फ्लिप चार्ट पेपर	प्रशिक्षक दल
दोपहर 1.00 बजे से दोपहर 1.30	प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन			
दोपहर 1.30	भोजन			

फोटो गैलरी

अभ्यास सत्र हेतु तैयारी

सहभागियों द्वारा अभ्यास सत्रों का संचालन